रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937
No. 372] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 463(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उप-धारा (2) के अनुसरण में, तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 के अधीन जारी अधिसूचनाओं को सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, लोकहित में निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जैसा कि सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, किसी सरकारी कंपनी पर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगें या लागू नहीं होगें, अर्थात् :-

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 में अध्याय संख्या/धारा/उपधाराएं	अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1	अध्याय-2, धारा 4	धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में "किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दशा में "लिमिटेड" अंतिम शब्द के साथ या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दशा में प्राइवेट कंपनी की दशा में "प्राइवेट लिमिटेड" अंतिम शब्दों के साथ" शब्दों के स्थान पर ' "लिमिटेड" अंतिम शब्दों के साथ' शब्द रखे जाएंगे।
2	अध्याय-4, धारा 56	उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :- परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध, जहां तक ये अंतरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से अथवा अंतरिती द्वारा या उसकी ओर से सम्यक रूप से स्टांपित और निष्पादित की जाने वाली, अंतरण की किसी समुचित लिखत की अपेक्षा

		करते हैं, किसी सरकारी कंपनी द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों के संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जब अंतरिती अपना नाम, पता और व्यवसाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना, बंधपत्र से संबंधित प्रणाण पत्र के साथ कंपनी को परिदत्त की गई हो; और यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र विद्यमान नहीं है, तो बंधपत्र आवंटन पत्र के साथ प्रस्तुत की हो; परंतु यह भी कि इस उपधारा के उपबंध सरकार के नाम-निर्देशिति द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।
3	अध्याय-7, धारा 89	लागू नहीं होगी।
4	अध्याय-7, धारा 90	लागू नहीं होगी।
5	अध्याय-7, धारा 96 की उपधारा (2)	उपधारा (2) में, "उस शहर, नगर अथवा ग्राम के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के भीतर "किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा", शब्दों के स्थान पर "ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे" शब्द रखे जाएंगे।
6	अध्याय-8, धारा 123 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक	किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
7	अध्याय-8, धारा 123 की उपधारा (4)	किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
8	अध्याय-9, धारा 129	रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों पर लेखांकन मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के लागू होने की सीमा तक लागू नहीं होगी।
9	अध्याय-9, धारा 134 की उपधारा (3) का खंड (ड.)	लागू नहीं होगी।
10	अध्याय-9, धारा 134 की उपधारा (3) का खंड (त)	उस दशा में लागू नहीं होगी जब, यथास्थिति, किसी कंपनी के प्रशासनिक प्रभार वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग या राज्य सरकार द्वारा, अपने मूल्यांकन के तरीके के अनुसार, निदेशकों को मूल्यांकित किया गया हो।
11	अध्याय-11, धारा 149 की उपधारा (1)(ख) और 149 की उपधारा (1) का पहला परंतुक	लागू नहीं होगी।
12	अध्याय-11, धारा 149 की उपधारा (6) का खंड (क)	धारा 149 की उपधारा (6) के खंड (क) में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "यथास्थिति कंपनी के प्रशासनिक प्रभार वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग या राज्य सरकार," शब्द रखे जाएंगे।
13	अध्याय-11, धारा 149 की उपधारा (6) का खंड (ग)	लागू नहीं होगी।
14	अध्याय-11, धारा 152 की उपधारा (5)	ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां ऐसे निदेशक की नियुक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार, द्वारा की गई हो।
15	अध्याय-11, धारा 152 की उपधारा (6) और उपधारा (7)	जो - (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो;

		(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो, पर लागू नहीं होगी।
16	अध्याय-11, धारा 160	निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :- (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो।
17	अध्याय-11, धारा 162	जो - (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो । उपर लागू नहीं होगी ।
18	अध्याय-11, धारा 163	जो - (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो। उपर लागू नहीं होगी ।
19	अध्याय-11, धारा 164 की उपधारा (2)	लागू नहीं होगी।
20	अध्याय-11, धारा 170	ऐसी किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
21	अध्याय-11, धारा 171	ऐसी किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
22	अध्याय-12, धारा 177 की उपधारा (4) का खंड (1)	धारा 177, उपधारा (4) के खंड (1) में, "नियुक्ति की सिफारिश, उनका पारिश्रमिक और विनियोजन के निबंधन" शब्दों के स्थान पर "पारिश्रमिक की सिफारिश" शब्द रखे जाएंगे।
23	अध्याय-12, धारा 178 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4)	सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी सिवाय 'ज्येष्ठ प्रबंधन' और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में।
24	अध्याय-12, धारा 185	किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी यदि उस कंपनी ने उस धारा के अधीन कोई ऋण देने अथवा कोई प्रत्याभूति देने अथवा प्रतिभूति उपलब्ध कराने से पूर्व यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालय अथवा विभाग का जो प्रशासनिक रूप से भारधारक है अथवा राज्य सरकार, का अनुमोदन अभिप्राप्त किया है।

25	अध्याय-12, धारा 186	जो – (क) रक्षा उत्पादन में लगी हुई सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी; (ख) ऐसी किसी सरकारी कंपनी को, उससे भिन्न जो सूचीबद्ध कंपनी है, लागू नहीं होगी यदि कंपनी ने, उस धारा के अधीन कोई ऋण देने अथवा कोई प्रत्याभूति देने अथवा प्रतिभूति उपलब्ध कराने या कोई विनिधान करने के पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालय अथवा विभाग का जो प्रशासनिक रूप से उस कंपनी भारधारक है अथवा राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त किया है।
26	अध्याय-12, धारा 188 की उपधारा (1) का पहला और दूसरा परंतुक	जो – (क) किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा ठहरावों के संबंध में लागू नहीं होंगे; (ख) ऐसी किसी सरकारी कंपनी को, उससे भिन्न जो कोई सूचीबद्ध कंपनी है, ऐसी संविदाओं और ठहरावों के संबंध में, उससे भिन्न खंड (क) में निर्दिष्ट है, लागू नहीं होंगे, यदि उस कंपनी ने ऐसी संविदा या ठहराव करने से विभाग का, जो प्रशासनिक रूप से उस कंपनी का भारधारक है, अथवा राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है।
27	अध्याय-13, धारा 196 की उपधारा (2), उपधारा (4) और उपधारा (5)	लागू नहीं होंगी।
28	अध्याय-13, धारा 197	लागू नहीं होगी।
29	अध्याय-13, धारा 203 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4)	उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "(4क) इस धारा की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध सरकारी कंपनी के किसी प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंधक और उनकी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को लागू नहीं होंगे।"।
30	अध्याय-29, धारा 439 की उपधारा (2)	उपधारा (2) में, "रजिस्ट्रार, कंपनी के शेयरधारक या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

2. सरकारी कंपनियां, पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों का अनुपालन करते हुए अपने शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

[फा. सं. 1/2/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 462 and in pursuance of sub-section (2) of said Section of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of notifications issued under section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 2956), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in the interest of

IndiaCode

public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013, as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the said Table, to a Government company, namely:—

Serial number	**Chapter Number/Section number/Sub-section(s) in the Companies Act, 2013**	**Exceptions, Modifications and Adaptations**
(1)	(2)	(3)
1.	Chapter II, section 4.	In section 4, in sub-section (1), in clause (a), the words 'in the case of a public limited company, or the last words "Private Limited" in the case of a private limited company' shall be omitted.
2.	Chapter IV, section 56.	In sub-section (1), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:— Provided further that the provisions of this sub-section, in so far as it requires a proper instrument of transfer, to be duly stamped and executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee, shall not apply with respect to bonds issued by a Government company, provided that an intimation by the transferee specifying his name, address and occupation, if any, has been delivered to the company along with the certificate relating to the bond; and if no such certificate is in existence, along with the letter of allotment of the bond: Provided also that the provisions of this sub-section shall not apply to a Government Company in respect of securities held by nominees of the Government.
3.	Chapter VII, section 89.	Shall not apply.
4.	Chapter VII, section 90.	Shall not apply.
5.	Chapter VII, sub-section (2) of section 96.	In sub-section (2), for the words "some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situate", the words "such other place as the Central Government may approve in this behalf" shall be substituted.
6.	Chapter VIII, second proviso to sub-section (1) of section 123.	Shall not apply to a Government Company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments.
7.	Chapter VIII, sub-section (4) of section 123.	Shall not apply to a Government Company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments or by one or more Government Company.
8.	Chapter IX, section 129.	Shall not apply to the extent of application of Accounting Standard 17 (Segment Reporting) to the companies engaged in defence production.
9.	Chapter IX, clause (e) of sub-section (3) of section 134.	Shall not apply.

10.	Chapter IX, clause (p) of sub-section (3) of section 134.	Shall not apply in case the directors are evaluated by the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government, as per its own evaluation methodology.
11.	Chapter XI, section 149(1)(b) and first proviso to sub-section (1) of section 149.	Shall not apply.
12.	Chapter XI, clause (a) of sub-section (6) of section 149.	In section 149, in sub-section (6), in clause (a), for the word "Board", the words "Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government" shall be substituted.
13.	Chapter XI, clause (c) of sub-section (6) of section 149.	Shall not apply.
14.	Chapter XI, sub-section (5) of section 152.	Shall not apply where appointment of such director is done by the Central Government or State Government, as the case may be.
15.	Chapter XI, sub-sections (6) and (7) of section 152.	Shall not apply to -- (a) a Government Company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments; (b) a subsidiary of a Government company, referred to in (a) above, in which the entire paid up share capital is held by that Government company.
16.	Chapter XI, section 160.	Shall not apply to— (a) a Government Company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments; (b) a subsidiary of a Government company, referred to in (a) above, in which the entire paid up share capital is held by that Government company.
17.	Chapter XI, section 162.	Shall not apply to — (a) a Government Company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments; (b) a subsidiary of a Government company, referred to in (a) above, in which the entire paid up share capital is held by that Government company.
18.	Chapter XI, section 163.	Shall not apply to— (a) a Government Company in which the entire paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments; (b) a subsidiary of a Government company, referred to in (a) above, in which the entire paid up share capital is held by that Government company.

19.	Chapter XI, sub-section (2) of section 164.	Shall not apply.
20.	Chapter XI, section 170.	Shall not apply to a Government Company in which the entire share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government or by one or more State Governments.
21.	Chapter XI, section 171	Shall not apply to a Government Company in which the entire share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government or by one or more State Governments.
22.	Chapter XII, clause (i) of sub-section (4) of section 177.	In clause (i) of sub-section (4) of the section 177, for the words "recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment" the words "recommendation for remuneration" shall be substituted.
23.	Chapter XII, sub-sections (2), (3) and (4) of section 178.	Shall not apply to Government company except with regard to appointment of 'senior management' and other employees.
24.	Chapter XII, section 185.	Shall not apply to Government company in case such company obtains approval of the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government before making any loan or giving any guarantee or providing any security under the section.
25.	Chapter XII, section 186.	Shall not apply to -- (a) a Government company engaged in defence production; (b) a Government company, other than a listed company, in case such company obtains approval of the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government before making any loan or giving any guarantee or providing any security or making any investment under the section.
26.	Chapter XII, first and second proviso to sub-section (1) of section 188.	Shall not apply to -- (a) a Government company in respect of contracts or arrangements entered into by it with any other Government company; (b) a Government company, other than a listed company, in respect of contracts or arrangements other than those referred to in clause (a), in case such company obtains approval of the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government before entering into such contract or arrangement.
27.	Chapter XIII, sub-sections (2), (4) and (5) of section 196.	Shall not apply.
28.	Chapter XIII, section 197	Shall not apply..
29.	Chapter XIII, sub-sections (1), (2), (3) and (4) of section 203.	After sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

		"(4A) The provisions of sub-sections (1), (2), (3) and (4) of this section shall not apply to a managing director or Chief Executive Officer or manager and in their absence, a whole-time director of the Government Company."
30.	Chapter XXIX, sub-section (2) of section 439.	In sub-section (2), the words "the Registrar, a shareholder of the company, or of" shall be omitted.

2. The Government companies, while complying with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the aforesaid Table, shall ensure that the interests of their shareholders are protected.

3. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013.

[F. No. 1/ 2 /2014-CL.-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.